Scholarly Research Journal for Humanity Science & English Language,
Online ISSN 2348-3083, SJ IMPACT FACTOR 2017: 5.068, www.srjis.com
PEER REVIEWED JOURNAL, AUG-SEPT 2018, VOL- 6/29

समावेशी शिक्षा के संदर्भ में राष्ट्रीय नीतियाँ, कानून एवं इनके क्रियान्वयन का समीक्षात्मक अध्ययन

कुमार विज्ञाना नन्द सिंह

शोधार्थी, शिक्षा विभाग, ओ. पी. जे. एस विश्वविद्यालय, चुरू, राजस्थान

Abstract

शिक्षा का समावेशीकरण यह बताता है कि विशेष शैक्षणिक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए एक सामान्य छात्र और एक दिव्यांग छात्र को समान शिक्षा प्राप्ति के अवसर मिलने चाहिए। इसमें एक सामान्य छात्र एक दिव्यांग छात्र के साथ विद्यालय में अधिकतर समय बिताता है। पहले समावेशी शिक्षा की परिकल्पना सिर्फ विशेष छात्रों के लिए की गई थी लेकिन आधुनिक काल में समावेशी शिक्षा के तहत पिछड़े, दलित, वंचित एवं सामान्य छात्र के साथ–साथ दिव्यांग छात्रों को भी शिक्षा प्रदान की जाती है।

शब्दावली *: समावेशी शिक्षा, नीति अधिनियम, लक्ष्य, प्रक्रियाएँ, भूमिकाएं, मुद्दे एवं चुनौतियाँ*

Scholarly Research Journal's is licensed Based on a work at www.srjis.com

प्रस्तावना

आजादी के 71 वर्षों बाद भी भारत में सभी को साक्षर व शिक्षित नहीं किया जा सका है। अतः सरकार द्वारा समय–समय पर शिक्षा से जुड़े कई नीतियों एवं कानूनों को लागू किया गया। जाहिर है कि समावेशी शिक्षा के तहत सभी को सामान्य रूप से शिक्षित करने का लक्ष्य रखा गया। सरकार समावेशी शिक्षा या एकीकरण के सिद्धांत की ऐतिहासिक जड़ें कनाडा और अमेरिका से जुड़ीं हैं। प्राचीन शिक्षा पद्धति की जगह नई शिक्षा नीति का प्रयोग आधुनिक समय में होने लगा है। समावेशी शिक्षा विशेष विद्यालय या कक्षा को स्वीकार नहीं करता। अशक्त बच्चों को सामान्य बच्चों से अलग करना अब मान्य नहीं है। दिव्यांग बच्चों को भी सामान्य बच्चों की तरह ही शैक्षिक गतिविधियों में भाग लेने का अधिकार है।

आज के आधुनिक युग में ''शिक्षा सभी के लिये'' का नारा अत्यधिक प्रचलित है। चूकि भारत एक धर्म निरपेक्ष देश है, अतः यहाँ प्रत्येक जाति, धर्म तथा रंग–रूप के व्यक्ति रहते हैं। जिस प्रकार यह शारीरिक रूप से एक दूसरे से अलग हैं ठीक उसी प्रकार से यह आपस में मानसिक रूप से भिन्न हैं। अतः इन बालकों की शिक्षा हेतु समावेशी शिक्षा का प्रावधान रखा गया।

समावेशी शिक्षा का उद्देश्य समावेशी, सहभागिता पूर्ण और समग्र दृष्टिकोण से देश के लिए एक नई शिक्षा नीति तैयार करना है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 मे बनाई गई थी और 1992 में संशोधित की गई थी। तब से अब तक अनेक बदलाव हुए हैं, जिसकी वजह से नीति में संशोधन की गई है। भारत सरकार, लोगों की गुणवत्तापरक शिक्षा, नवाचार और अनुसंधान संबंधी आवश्यकताओं के परिवर्तनशील

Copyright © 2017, Scholarly Research Journal for Interdisciplinary Studies

पहलुओं से निपटने के लिए नई शिक्षा नीति लायी गई, जिसका उद्देश्य भारत को, इसके छात्रों को आवश्यक कौशल तथा ज्ञान प्रदान करके ज्ञान के क्षेत्र में महाशक्ति बनाना तथा विज्ञान, प्रौद्योगिकी, शिक्षा एवं उद्योग जगत में श्रमशक्ति की कमी को दूर करना है। इस प्रयोजनार्थ समावेशी शिक्षा के अंतर्गत विचार–विमर्श के लिए 33 प्रकरणों की पहचान को गई। इन प्रकरणों को विद्यालोय शिक्षा (13 प्रकरण) और उच्चतर शिक्षा (20 प्रकरण) के क्षेत्रों में अलग–अलग विभाजित किया गया है।

आजादी के बाद से भारत में हुए शैक्षिक व्यवस्था का विकास इस बात की पुष्टि करता है कि भारतीय शिक्षा न विभिन्न क्षेत्रीय विविधताओं और भिन्न सीमाओं के बावजूद भी समावेशी शिक्षा के लिए उपकरण के रुप में कार्य किया है। समावेशी शिक्षा से हमारा तात्पर्य वैसी शिक्षा प्रणाली से है जिसमें सभी शिक्षार्थियों को बिना किसी भेद–भाव के सीखने सिखाने के सामान अवसर मिले, परन्तु आज भी यह समावेशी शिक्षा उस मुकाम पर नहीं पहुँची है, जहाँ इसे पहुँचना चाहिए था।

सभी बच्चे शारीरिक रूप से एक–दूसरे से भिन्न पाये जाते हैं, कुछ छोटे होते हैं कुछ बड़े कमजोर होते हैं तथा अन्य बलवान, कुछ में सीखने की क्षमता अच्छी होती है। तथा वह जल्दी से सीख जाते हैं एवं नई परिस्थितियों में उन्हेंने जो सीखा है वह उसका आसानी से सामान्यीकरण कर लेते हैं, जबकि कुछ ऐसे होते हैं, जिन्हें बार–बार अभ्यास कराकर सिखाया जाता हैं तथा उन्होंने जो भी पढ़ा है उसे याद रखने में कठिनाई महसूस करते हैं। जहाँ बच्चों में आपस में अन्तर कम मात्रा में पाया जाता है, वे शारीरिक रूप से लगभग एक से होते हैं, उनमें सीखने की क्षमता लगभग एक समान होती है, मानसिक रूप से भी वह लगभग औसत वर्ग के होते हैं, उनका सामाजिक व्यवहार भी सामाजिक व्यवस्थाओं एवं मान्यताओं की परिधि में ही होता है, उनमें सम्प्रेक्षण करने की क्षमता एवं भावनात्मक सन्तुलन भी सामान्य मात्रा में पाया जाता है तथा वे सामान्य शिक्षा कार्यक्रम के अन्तर्गत शिक्षा ग्रहण करने की स्थिति में हो, ऐसे बच्चों को सामान्य बालक की श्रेणी में रखा जाता है। लेकिन जब वह बच्चों को जो अपनी किसी शारीरिक अपंगता, सीखने की अयोग्यता, बौद्धिक पिछड़ेपन, भावनात्मक एवं व्यावहारिक विकारों, सम्प्रेशण–भाषा तथा बोलने संबंधी विकारों, या बौद्धिक प्रखरता एवं सृजनात्मकता की अत्यधिक प्रवृत्ति के कारण सामान्य शिक्षा कार्यक्रम के लिये उपयुक्त नहीं होता है उन्हें विशिष्ट बालकों की श्रेणी में रखा जाता हैं और इन बच्चों की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए अलग–अलग प्रकार के विशिष्ट शिक्षा कार्यक्रमों की व्यवस्था की जाती है। विशिष्ट बालकों की श्रेणी में सीखने की निर्योग्यता वाले, व्यावहारिक समस्या वाले, विभिन्न प्रकार की शारीरिक अपंगता वाले, संवेदी अपंगता वाले, बौद्धिक रूप से प्रखर एवं चिन्तक, मानसिक दौर्बल्य आदि आते हैं।

हमारा संविधान जाति, वर्ग, धर्म, आय एवं लैंगिक आधार पर किसी भी प्रकार के विभेद का निषेध करता है, और इस प्रकार एक समावेशी समाज की स्थापना का आदर्श प्रस्तुत करता है, जिसके परिप्रेक्ष्य में बच्चे को सामाजिक, जातिगत, आर्थिक, वर्गीय, लैंगिक, शारीरिक एवं मानसिक दृष्टि से भिन्न देखे जाने के बजाय एक स्वतंत्र अधिगमकर्त्ता के रूप में देखे जाने की आवश्यकता है, जिससे लोकतांत्रिक

Copyright © 2017, Scholarly Research Journal for Interdisciplinary Studies

विद्यालय में बच्चों के समुचित समावेशन हेतु समावेशी शिक्षा के वातावरण का सृजन किया जा सके। उल्लेखनीय है कि समावेशी शिक्षा हेतु विभिन्न आयोगों एवं कानून द्वारा भारत में निरन्तर प्रयास जारी है। यथा काठारी कमीशन (1964–66), नई शिक्षा नीति 1986, नियाग्य व्यक्ति अधिनियम, 1995, सर्वशिक्षा अभियान, 2002, असमर्थी बालकों हेतु राष्ट्रीय नीतियाँ 2006। इस प्रकार हर नीति में समावेशी शिक्षा के माध्यम से दिव्यांग एवं असमर्थी बालकों तक शिक्षा पहुँचाने के लिए पर्याप्त प्रावधान किए गए हैं। इस दृष्टि से समावेशी शिक्षा को देखने तो स्पष्ट होता है कि समावेशी शिक्षा का महत्व एवं आवश्यकता निम्न है :

समावेशी शिक्षा प्रत्येक बच्चे के लिए उच्च और उचित उम्मीदों के साथ, उसकी व्यक्तिगत शक्तियों का विकास करती है।

समावेशी शिक्षा अन्य छात्रों को अपनी उम्र के साथ कक्षा के जीवन में भाग लेने और व्यक्तिगत लक्ष्यों पर काम करने हेतु अभिप्रेरित करती है।

समावेशी शिक्षा बच्चों को उनके शिक्षा के क्षेत्र में और उनके स्थानीय स्कूलों की गतिविधियों में उनके माता–पिता को भी शामिल करने की वकालत करती है।

समावेशी शिक्षा सम्मान और अपनेपन की स्कूल संस्कृति के साथ–साथ व्यक्तिगत मतभेदों को स्वीकार करने के लिए भी अवसर प्रदान करती है।

समावेशी शिक्षा अन्य बच्चों, अपने स्वयं के व्यक्तिगत आवश्यकताओं और क्षमताओं के साथ प्रत्येक का एक व्यापक विविधता के साथ दोस्ती का विकास करने की क्षमता विकसित करती है।

समावेशी शिक्षा समाज के सभी बच्चों को शिक्षा की मुख्य धारा से जोड़ने की बात का समर्थन करती है। यह सही मायने में सर्वशिक्षा जैसे शब्दों का ही रूपान्तरित रुप है जिसके कई उद्देश्यों में से एक उद्देश्य है 'विशेष आवश्यकता वाले बच्चों की शिक्षा'। विद्यालयी शिक्षा और उसके परिसर में समावेशी शिक्षा के तरीके निम्न हैं :

(क) स्कूल के वातावरण में सुधार : स्कूल का वातावरण किसी भी प्रकार की शिक्षा में बड़ा ही योगदान रखता है। यह कई चीजों की शिक्षा बच्चों को बिना सिखाए भी दे देता है। अतः समावेशी शिक्षा हेतु सर्वप्रथम उचित तथा मनमोहक स्कूल भवन का प्रबंध जरूरी है। इसके अलावे स्कूलों में आवश्यक साज–सामान तथा शैक्षिक सहायताओं का भी समुचित प्रबंध जरूरी है। बिना इसके विद्यालय में समावेशी माहौल बनाना थोड़ा कठिन प्रतीत होता है।

(ख) दाखिले की नीति में परिवर्तन : समाज में व्याप्त कुरीतियों को हटाने और समावेशी शिक्षा के मुख्य उद्देश्यों को आम जन तक पहुँचाने हेतु विद्यालय के दाखिले की नीति में भी परिवर्तन किया जाना आव" यक है। हालाँकि कुछ कानून इसकी वकालत करते हुए दिखाई दे भी रहे हैं, लेकिन धरातल पर इसकी वास्तविकता में संदेह प्रतीत होता है।

Copyright © 2017, Scholarly Research Journal for Interdisciplinary Studies

(ग) रुचिपूर्ण एवं विभिन्न पाठ्यक्रम का निर्धारण : सभी विद्यालयी बच्चों में समावेशी शिक्षा की ज्योति जलाने हेतु इस बात की भी नितांत आवश्यकता है कि उन्हें रुचियों के अनुसार संगठित किया जाए और पाठ्यक्रम का निर्माण उनकी अभिवृत्तियों, मनोवृत्तियों, आकांक्षाओं तथा क्षमताआ के अनुकूल किया जाए।

(घ) प्रावैगिक विधियों का प्रयोग : शिक्षा को लेकर स्वतंत्र भारत के लगभग सभी शिक्षा आयोगों ने शिक्षण में प्रावैगिक विधियों के अधिकाधिक प्रयोग की सिफारिश की है, परन्तु इसका वास्तविक प्रयोग न के बराबर हुआ है। इसके जबर्दस्त परिणाम इस रुप में सामने आ रहे हैं कि दिन–ब–दिन विद्यालयों का स्तर गिरता ही जा रहा है। अतः आज आवश्यकता इस बात की है कि समावेशी शिक्षा हेतु शिक्षकों को इसकी नवीन विधियों का ज्ञान करवाया जाए तथा उनके प्रयोग पर बल दिया जाए। समावेशी शिक्षा के लिए विद्यालय के शिक्षकों को समय–समय पर विशेष प्रशिक्षण–विद्यालयों में भी भेजे जाने की नितांत आवश्यकता है।

(ङ) विद्यालय को सामुदायिक जीवन का केन्द्र बनाना : समावेशी शिक्षा हेतु यह प्रयास भी किया जाना आव" यक है कि विद्यालय को सामुदायिक जीवन का केन्द्र बनाया जाए ताकि वहाँ छात्र की सामुदायिक जीवन की भावना को बल मिले, जिससे वे सफल एवं योग्यतम सामजिक जीवन यापन कर सकें। इस उद्देश्य की प्राप्ति हेतु समय–समय पर विद्यालयों में वाद–विवाद, खेल–कूद तथा देशाटन जैसे मनोरंजक कार्यक्रमों का आयोजन किया जाना चाहिए।

(च) विद्यालयी शिक्षा में नई तकनीक का प्रयोग : समावेशी शिक्षा के सफल क्रियान्वयन व प्रचार–प्रसार हेतु शिक्षा में नई तकनीक को भी तरजीह देने की अति आवश्यकता है।

(छ) मार्गदर्शन एवं समुपदेशन की व्यवस्था : भारतीय विद्यालयों में समावेशी शिक्षा के पूर्णतया लागू न होने के कई कारणों में से एक कारण विद्यालय मे मार्गदर्शन एवं समुपदेशन की व्यवस्था का न होना भी है। इसके अभाव में विद्यालय में समावेशी वातावरण का निर्माण नहीं हो पाता है। अतः समावेशी शिक्षा देने के तरीकों में यह भी होना चाहिए कि विद्यालय में पढ़ने वाले छात्रों और उनके अभिभावकों हेतु आदि से अंत तक सुप्रशिक्षित, योग्य एवं अनुभवी व्यक्तियों द्वारा मार्गदर्शन एवं परामर्श प्रदान करने की व्यवस्था होनी चाहिए।

मदन मोहन झा (2005) ने अपनी पुस्तक ''समावेशी शिक्षा : दृष्टिकोण और प्रक्रियाएँ'' में उल्लेख किया है कि विद्यालयों को चाहिए कि सभी बच्चों को उनकी शारीरिक, बौद्धिक, सामाजिक, भावनात्मक, भाषाई या अन्य दशाओं का ख्याल किए बिना स्वीकार करे। इनमें दिव्यांग और प्रतिभाशाली बच्चे, दूरदराज की और घुमक्कड़ आबादियों के बच्चे, भाशाई, उपजातीय या सांस्कृतिक अल्पसंख्यकों के बच्चे तथा दूसरे वंचित या हाशियाई क्षेत्रों या समूहों के बच्चे शामिल होने चाहिए।ज्ञातव्य है कि सरकार समाज के वंचित, सीमांत क्षेत्रों एवं शारीरिक रूप से अशक्त बच्चों को विद्यालय से जोड़ने का प्रयास कर रही है। विशेष शैक्षिक आवश्यकताओं की शब्दावली से अभिप्राय वे सभी बच्चे हैं जिनकी आवश्यकताएँ

Copyright © 2017, Scholarly Research Journal for Interdisciplinary Studies

नियोग्यताओं या अधिगम संबंधी कठिनाइयों से व्युत्पन्न है। वर्तमान समय में इस बात पर सहमति पैदा हो रही है कि विशेष शैक्षिक आवश्यकताओं वाले बच्चों को अधिकांश बच्चों के लिए किए गए शैक्षिक बन्दोबस्त में शामिल किया जाए। इसी से समावेशी शिक्षा की धारणा पैदा हुई है।

डॉ0 एम. एम. लवानिया तथा शशी के. जैन (2012) के अनुसार समावेशन की नीति को हर स्कूल एवं सारी शिक्षा व्यवस्था में व्यापक रूप से लागू किए जाने की जरूरत है। बच्चां के जीवन के हर क्षेत्र में चाहे वह स्कूल में हो या बाहर, सभी बच्चों की भागीदारी सुनिश्चित किए जाने की जरूरत है। स्कूलों को ऐसे केन्द्र बनाए जाने की आवश्यकता है, जहाँ बच्चों को जीवन की तैयारी कराई जाए और यह सुनिश्चित किया जाए कि सभी बच्चे खासकर शारीरिक एवं मानसिक रूप से असमर्थ बच्चों और कठिन परिस्थितियों म जीने वाले बच्चों को इस क्षेत्र के सबसे ज्यादा फायदे मिल सकें।

डॉ0 सरयू प्रसाद चौबे (2014) ने अपनी पुस्तक ''तुलनात्मक अध्ययन'' में स्पष्ट किया है कि समावेशी शिक्षा का एक व्यापक लक्ष्य यह प्रतीत होता है कि एक साथ शिक्षित होने पर भविष्य में समाज के अन्दर विशिष्ट आवश्यकता वाले व्यक्तियों के सरोकारा को आम लोग बेहतर ढंग से समझ सकें तथा उनमें उनके प्रति अपेक्षित संवेदनशीलता का विकास हो सके। समावेशी शिक्षा को प्रोत्साहित करने का अपना एक राजनीतिक अर्थशास्त्र भी है जो भूमण्डलीकरण या उदारीकरण की प्रक्रियाओं से प्रेरित है। यह राजनीतिक अर्थशास्त्र इस मान्यता पर आधारित है कि सरकार को जनकल्याण, सामाजिक तथा गैर–उत्पादक कार्यों पर कम से कम खर्च करना चाहिए। विशिष्ट आवश्यकताओं वाले बच्चों के लिए विशेष विद्यालय चलाना महँगा सौदा है (वो भी विकलांगों की कम से कम पाँच श्रेणियों के लिए)। इसलिए समावेशी शिक्षा की अवधारणा को प्रोत्साहित किया जा रहा है।

निष्कर्ष :

स्पष्ट है कि समावेशी शिक्षा का उद्देश्य सभी छात्रों के ज्ञान, कौशल, में आत्मनिर्भर बनाते हुए उन्हें भारतीय समुदायों और कार्यस्थलों में योगदान करने के लिए तैयार करना आवश्यक है, किन्तु भारतीय विद्यालयों की विविध पृष्ठभूमि और क्षमताओं के साथ छात्रों को शिक्षा की मुख्यधारा में जोड़ने के रूप में समावेशी शिक्षा का केंद्रीय उद्देश्य अधिक चुनौतीपूर्ण हो जाता है, लेकिन इन चुनौतियों को शिक्षकों के सहयोग, अभिभावकों के प्रयास, और समुदाय से मिलकर दूर किया जा सकता है।

संदर्भ :

गुप्ता, प्रो. एस.पी. एवं गुप्ता, डॉ. अलका (2007) : भारतीय शिक्षा प्रणाली का विकास, शारदा पुस्तक भवन, इलाहाबाद

कोहली, डॉ0 वि.के. (2003) : भारतीय शिक्षा की समस्याएँ, विवेक पब्लिशर्ज, अम्बाला, हरियाणा

डॉ0 संगीता (2012) : शिक्षा के नूतन आयाम, अनुभव पब्लिशिंग हाउस, इलाहाबाद

झा, मदन मोहन (2005) : समावेशी शिक्षा : दृश्टिकोण और प्रक्रियाएँ, प्रकाशन संस्थान, नई दिल्ली

लवानिया, डॉ0 एम.एम. और जैन के. शशी (2012) शिक्षा का समाजशास्त्र, रिसर्च पब्लिकेशन्स, जयपुर,डॉ0 सरयू प्रसादचौबे, (2014) तुलनात्मक शिक्षा, अग्रवाल पब्लिकेशन्स, आगरा

Copyright © 2017, Scholarly Research Journal for Interdisciplinary Studies